XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व अपील वाद संख्या–65/2005

U/S 48 (F) B.T.Act

1. जयन्ती देवी, पति–जगदीश प्रसाद साह
2. निर्मल कुमार साह, पिता–राम चन्दर साह

साकिन–दमगड़ा, थाना–धमदाहा, जिला–पूर्णियाँ

————आवेदकगण

बनाम्

1. राज्य ———— विपक्षी सं0–1
2. राजेन्द्र यादव, पिता–स्व0 जग्गन यादव

साकिन–सहसौल, थाना–बी0कोठी, जिला–पूर्णियाँ ———— विपक्षी सं0–2

आ दे श

आवेदक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा बटाईदारी वाद सं0– 13/2001 में दिनांक–23.06.2004 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारंभ किया है। आवेदक का कथन है कि विपक्षी सं0–2 ने मौजा–बिठनौली धनपत थाना नं0–331, खाता सं0–445, खेसरा सं0–3003 एवं 307 रकवा 1.80 एकड़, खेसरा सं0–303 रकवा 44 डि कुल रकवा 2. 24 एकड़ जमीन पर बटाईहक के लिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में वाद सं0–13/01 प्रारंभ किया था। विपक्षीगण ने अपने आवेदन में दिनांक– 07.12.2001 को उल्लेख किया है कि आवेदिका संख्या–1 प्रश्नगत जमीन की भूस्वामी है और आवेदक संख्या–2 उसका रिस्तेदार है तथा आवेदक संख्या–2 ही करपरदाज भी है। विपक्षीगण ने यह भी उल्लेख किया है कि आवेदक के साथ जमीन बेचने की बात तय हुई थी और अग्रिम के रूप में कुछ राशि भी भूस्वामी को दिया था तथा भूस्वामी राशि प्राप्त कर प्राप्ति रसीद के रूप में एक खेसरा (पर्ची) दिया था। विपक्षीगण ने यह भी उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा जमीन छोड़ने की धमकी देने के बाद वह निम्न न्यायालय में वाद दायर किया है। निम्न न्यायालय द्वारा समझौता बोर्ड के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए पुनः वाद को साक्ष्य के आधार पर सुनने का निर्णय लिया गया था। विपक्षी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, किन्तु आवेदक को प्रतिपरीक्षण करने का एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया। अन्ततः दिनांक–23.06.2004 को निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी को प्रश्नगत जमीन का बटाईदार घोषित किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा बिना स्थल जॉच किये ही आदेश पारित किया गया जो नियम के अनुकूल नहीं है। विपक्षी ने अपने आवेदन में लिखा है कि वह भूस्वामी को जमीन के लिए कुछ रूपया अग्रिम के रूप में दिया था और भूस्वामी ने एक पर्ची पर रकम की प्राप्ति लिखकर दिया था। लेकिन विपक्षी ने कभी भी न्यायालय में वह पर्ची प्रस्तुत नहीं किया। विपक्षी द्वारा बटाई का दावा असत्य है। अतः आवेदक इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख मॅगवाकर वाद की सुनवाई करते हुए न्याय प्रदान करने की कृपा की जाय।

X.V-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किया गया यह किसी भी दृष्टिकोण से निर्वहन योग्य नहीं है। विपक्षी के पिता ने वर्ष 1982 ई0 में प्रश्नगत जमीन बटाई पर लिया था और खेती कर रहा है। जमीन मालिक द्वारा जमीन छोड़ने की धमकी देने के बाद विपक्षी निम्न न्यायालय द्वारा समझौता बोर्ड का गठन किया गया लेकिन आवेदक प्रायः अनुपस्थित रहे। पुनः समझौता बोर्ड द्वारा जॉच करने के क्रम में विपक्षी का दखल पाया। आवेदक प्रायः निम्न न्यायालय में भी प्रायः अनुपस्थित रहे। कैम्प कोर्ट की जानकारी रहने के बावजुद भी आवेदक उपस्थित नहीं हुए। पुनः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता स्थल निरीक्षण कर विपक्षी के बटाईहक को संपुष्ट करने का आदेश पारित किये जो विधि के अनुकूल है। अतः विपक्षी इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

निर्धारित तिथि दिनांक 03.02.2012 को सुनवाई की गयी। आवेदक अनुपस्थित थे। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में भी लगातार आवेदक अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2012 को आवेदक को अंतिम मौका देते हुए न्यायालय में उपस्थित रहने का स्पष्ट निदेश दिया गया। आवेदक द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं रहने की स्थिति में वाद खारिज करने की भी चेतावनी दिया गया। इसके बाबजूद भी सुनवाई हेतु उपस्थित रहना आवेदक ने उचित नहीं समझा।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस वाद के निष्पादन में आवेदक को कोई रूचि नहीं है। चूँकि इस वाद से उनको कोई लेना देना नहीं है। विपक्षी का यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है।

पुनः दिनांक 30.03.3012 को सुनवाई हेतु रखा गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई के बाद स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है एवं इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय के साथ आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ